251

[भारत के राजपत्र, भाग 2 ... , उपखंड [i] में प्रकाशनार्थ]

dt. 28.10.1989

भारत सरकार
ऊर्जा मंत्रालय
कोयला विभाग
...

नई दिल्ली, तारीख 6.10.1989

अधिसूचना

का0आ0 2738 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र [अर्जन और विकास] अधिनियम, 1957 [1957 का 20] की धारा 7 की उपधारा [1] के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड [ii], तारीख 1 नवम्बर, 1986 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय [कोयला विभाग] की अधिसूचना सं0 का0आ0 3747, तारीख 16 अक्तूबर, 1986 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 107.00 एकड़ [लगभग] या 43.30 हेक्टर [लगभग] माप वाली भूमि अर्जित की जानी चाहिए ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा [1] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 107.00 एकड़ [लगभग] या 43.30 हेक्टर [लगभग] माप वाली भूमि अर्जित की जाती है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त, हजारीबाग [बिहार] के कार्यालय के या कोयला विभाग नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 [राजस्व अनुभाग] दरभंगा हाउस, रांची [बिहार] के कार्यालय में किया जा सकता है ।

..../-

Cmy/cccl/1087
24.10.89

Office of the Director (Plg & Proj)
No. 1239
Dt. 25.10.89
CCL, Ranchi

अनुसूची

माण्डू ब्लाक - उप ब्लाक II

पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र

जिला हजारीबाग, बिहार

रेखाचित्र सं० राजस्व/18/87 तारीख 17-3-1987
(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्र०सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	कुजु	माण्डू	154	हजारीबाग	40.00	भाग
2.	पोखरिया	माण्डू	121	हजारीबाग	67.00	भाग

कुल क्षेत्र : 107.00 एकड़ (लगभग)
या 43.30 हेक्टर (लगभग)

कुजु ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं०

50(भाग), 53(भाग), 54 से 73, 74(भाग), 75(भाग), 76(भाग), 77(भाग), 78(भाग), 79(भाग), 93(भाग), 94, 95(भाग), 96(भाग), 97(भाग), 107(भाग), 122(भाग), 123(भाग), 125 से 145, 146(भाग), 147, 148, 149, 150, 151(भाग), 152(भाग), 153(भाग), 154, 155(भाग), 156(भाग), 157(भाग), 158(भाग), 160(भाग), 163(भाग), 164(भाग), 165(भाग), 166, 167(भाग), 174(भाग), 175(भाग), 176(भाग), 177(भाग), 178(भाग), 179, 180, 181(भाग), 182(भाग), 183 से 187 और 188(भाग), 207(भाग), और 256(भाग).

पोखरिया ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं०

1 से 9, 10(भाग), 11, 12(भाग), 18(भाग), 32(भाग), 33, 34, 35(भाग), 36 से 40, 41(भाग), 42(भाग), 45(भाग), और 46(भाग).

नि :

रेखा, कुजु ग्राम में प्लाट सं० 164 (नदी), 50, 53, 50, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 93, 47, 96, 95, 107, 123, 151, 122, 152, 153, 152, 165 और 207 से होकर जाती है (जो कुजु कोयला खान के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिंदु "ढ" पर मिलती है ।

रेखा, कुजु ग्राम में प्लाट सं० 207, 256, 207, 165, 156, 155, 157, 158, 50, 160, 50, 146, 50, 163, 50, 165, 188, 182, 181, 178, 177, 176, 175, 174 और 167 से होकर जाती है और फिर पोखरिया ग्राम में प्लाट सं० 46, 10, 18, 12, 18, 12, 32, 41, 42, 35 और 45 से होकर जाती है (जो भूरपा कोलियरी के साथ भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "त" पर मिलती है ।

रेखा नाले की मध्य रेखा के साथ साथ जाती है (जो आरा और पोखरिया ग्रामों की भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "थ" पर मिलती है ।

रेखा, नदी की मध्य रेखा के साथ साथ जाती है (जो पोखरिया और बोंगहारा ग्रामों की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "द" पर मिलती है ।

रेखा, नदी की भागत: मध्य रेखा के साथ साथ जाती है (जो कुजु और हेसागारा ग्रामों की और हेसागारा कोलियरी सीमा के भाग के साथ साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और आरंभिक बिन्दु "ड" पर मिलती है ।

(बी० बी० राव)
अवर सचिव, भारत सरकार
सं० 43015/8/85-सी०ए०/एल एस डब्लू

प्रबंधक (तकनीकी),
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली.